

Notes

A society that labels certain people as outside the norm - weird, scary, hateful or useless - marginalize those people edging them out. Native or aboriginal groups often end up in this position and so do people who are poor, disabled, elderly or who in other ways are seen as not quite fitting in.

① स्त्री शिक्षा Women Education

ब्रिटिश युग में वि. स्त्री शिक्षा का विकास :-

① स्वतंत्रता के पूर्व सर्वप्रथम "बुड के घोषणा पत्र" (1854) में यह कहा गया था कि "उत्तरता पूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए आदेश पत्र में उन सभी लोगों को प्रोत्साहित किया गया जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दें। उनके अनुसार स्त्रियों की सामुचित शिक्षा के लिए उचित प्रशिक्षण रखी व्यवस्था की भी सिफारिश की गई। इस प्रकार स्व. कम्पनी द्वारा अपेक्षित स्त्री शिक्षा में प्रगति का प्रारंभ हुआ।"

② 1882 में स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक प्राथमिक शिक्षा स्कूलों का प्रारंभ हुआ। 1882 में स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक प्राथमिक शिक्षा स्कूलों का प्रारंभ हुआ। 1882 में स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक प्राथमिक शिक्षा स्कूलों का प्रारंभ हुआ।

के पक्ष में नहीं थे।

3) इस काल में मिशनरियों द्वारा विद्यालय खोले जाने के पीछे एक उद्देश्य था -

a) मिशन बालिका विद्यालयों के लिए अध्यापिकाओं को शिक्षित करना।

b) धर्म परिवर्तन के लिए शिक्षण का अध्यापिकाएं बनाकर उनके पीछे पाठन की समझ का हल बनाना।

4) एंग्लो शिक्षा आयोग (1882) ने नारी शिक्षा को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए अधिक आवश्यक सुविधाएँ जुटाने की बात कही तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग विद्यालयों का खोला गया, तथा पाठ्यक्रम खरल, रोयक तथा उपयोगी बनाने के लिए निरीक्षिकाओं (Supervisor) की नियुक्ति करने का सुझाव दिया। अतः सरकार ने अनुक्रम बना पारंगत विद्यालयों की संख्या बढ़ी।

5) सन् 1901 में मिशनरियों की बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आर्य समाज के ने शिवा का उदावा देने के लिए विद्यालयों की स्थापना की राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित होकर आर्य प्रतिनिधि सभा ने पंजाब के तत्वाधान में हरियाणा और गुजरात में लड़कियों के कुल के साथ लड़कियों के लिए भी कुल खोले गये। 1904 ई. में ऐनी बेसेट ने भारत में Central Hindu Balika Vidyalaya की स्थापना की। 188

Notes

⑥ गोपाल कृष्ण गोरेवले पहले नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की मांग की। उनकी दूरदर्शिता के कारण गोरेवले रिपोर्ट (1911) प्रस्तावित हुआ। सामाजिक कुरीतियों के कारण, पर्दा प्रथा के कारण अनिवार्य शिक्षा को अपनाया नहीं जा सका, फिर से सरकारें 6-10 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य कर रही हैं। परन्तु ये रिपोर्ट पास नहीं हो सकी और शिक्षा अनिवार्यता अधिनियम का सुर्ग। सर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद शिक्षा की प्रगति अवरूद्ध हो गई।

स्वातंत्र्य के बाद स्त्री शिक्षा :-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1), 16(1), 16(2) में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार नारी उत्थान के लिए नीमति-जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में नेशनल कमिशन ऑन वीमेन की स्थापना की, और यह नारी उत्थान के लिए यह कमिशन अच्छा काम कर रहा है।

⑦ राधा कृष्ण कमिशन (1948-49) - स्त्री शिक्षा पर

बैसा है कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते।

2) योजना आयोग → इस काल में स्त्री शिक्षा के की गई थी उसने विकास हेतु जो लक्ष्य निर्धारित आयु वाली बालिकाओं की संख्या 6-11 वर्ष की वर्ष 1955-56 में 40% तक पहुँच गया जो कि 1950-51 में 23.3% था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना - इस काल में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, इस योजना काल में महिला शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की गई। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था।

3) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) → इसे दुर्गाबार्म देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है, इस समिति का उद्देश्य स्त्री शिक्षा के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था।

4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी, जिसमें बालिकाओं के परिवेश का निर्माण करना। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षा के लिए सुविधाएँ देना। इत्यादि।

Notes

⑤ प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991) → इस समिति

(i) अध्यापिकाओं की अधिका से अधिक नियुक्ति कराने की बात कही।

(ii) विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाए।

(iii) उन्हें धन, पाठ्य पुस्तक इत्यादि वितरण की बात कही।

⑥ राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) का प्रभाव में आने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए का रखा गया, तथा उसे कारगर बनाने के लिए किए जाने की बात कही गई।

⑦ महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना एवं उन्हें कानूनी का उल्लंघन होने, वहाँ समस्त संबंधित अधिकारी तक पहुँचना इत्यादि का रखा गया।